बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः— औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत अनुदान की प्रक्रिया निर्धारण हेतु निर्गत संकल्प ज्ञापांक 2437 दिनांक 15.07.2011 (जो संकल्प ज्ञापांक 984 दिनांक 11.06.15 के द्वारा संशोधित किया जा चुका है) में संशोधन के संबंध में।

1. उक्त संकल्प ज्ञापांक 2437 दिनांक 15.07.2011 की कंडिका–17(ख) के बाद निम्न प्रकार से एक नई उप कंडिका–17(ग) अन्त स्थापित की जाएगी :—

"17(ग):— औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार–2011 की कंडिका–4(iii) नियोजन (रोजगार सृजन अनुदान) के अन्तर्गत किसी औद्योगिक इकाई द्वारा इस नीति के लागू होने के पश्चात् अगर कम–से–कम 100 (एक सौ) प्रत्यक्ष नियोजन (Direct Emloyment) सृजित (Generate) किया जाता हो, तो उन्हें उनके नियोजन की तिथि से 1(एक) वर्ष तक उनके नए कर्मचारियों (Employees) को जो ई0पी0एफ0 (EPF) की राशि इकाई द्वारा भुगतान की जायेंगी, उसके समतुल्य प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति विभागीय आदेश ज्ञापांक 2443 दिनांक 15.07.2011 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। विभागीय आदेश ज्ञापांक 2443 दिनांक 15.07.2011 एवं संकल्प ज्ञापांक 2437 दिनांक 15.07.2011 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।"

ह०/ 2/07/2015
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1200/पटना, दिनांक : 03.07.15
सं0सं0– 02/उ नि/नियोजन अनुदान–3–125/14

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

ह०/ 2/07/2015
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

J.L.K.

ज्ञापांक–1200/पटना, दिनांक : 03.07.15

सं0सं0– 02/उ नि/नियोजन अनुदान–3–125/14

प्रतिलिपि :–सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र इन्दिरा भवन, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त समिति हेतु एक सदस्य कृपया मनोनीत किया जाय।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1200 /पटना, दिनांक : 03.07.15

सं0सं0– 02/उ नि/नियोजन अनुदान–3–125/14

प्रतिलिपि :– सभी विभागाध्यक्ष/वाणिज्य–कर आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग/ प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/निदेशक, उद्योग/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रमोद्योग बोर्ड, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना/अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, एम.एस.एम.ई.डी.आई., पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 1200 /पटना, दिनांक– 03.07.15

सं0सं0– 02/उ नि/नियोजन अनुदान–3–125/14

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(2)

J.L.K.